[illegible]

	[illegible] अधिकारी [illegible] दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 13.12.17 को पेश हों।
13.12.17	~~वकील वादी बहस अन्तिम वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई वास्ते आदेश निर्णय पत्रावली 20.12.17 को पेश होवे~~ पेश हो
20.12.17	वकील वादी उपस्थित पूर्व पेशी पर बहस अंतिम सुनी गयी है। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 28.12.17 को पेश हो
28.12.17	वकील वादी उपस्थित। निर्णय सुनाया गया वाद वादीगण खारीज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी, जिला बून्दी

वाद सं. - 34/धावा/12 पीठासीन अधिकारी - गरिमा लाटा R.A.S

दायरा दिनांक - 1.06.12

उनवान

1. सीतादेवी आयु 52 वर्ष बेवा दौलतराम जाति नाई
2. सुरेश आयु 35 वर्ष
3. राजेन्द्र आयु 33 वर्ष
4. महेन्द्र आयु 31 वर्ष

] - पिसरान श्री दौलतराम जाति नाई निवासीगण ग्राम नयागांव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

- वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

- प्रतिवादी

वाद अधिकार घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटी एक्ट

निर्णय

दिनांक. 28.12.17

वादीगण द्वारा वाद जर्ये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 88, 89 आर-टी एक्ट पेश कर वादपत्र में कथन किया कि सेटलमेंट 1995-2015

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः...

के पूर्व खसरा नं. 69 रकबा 10 बीघा व खसरा नं. 303 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम पापड़ी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज. में स्थित है। उक्त कृषि भूमि दौलतराम आत्मज श्री रामकुंवार जाति नाई निवासी ग्राम नयागांव को आवंटन हुयी थी। सेटलमेंट 1995-2015 के पश्चात पुराने खसरा नं. 69 रकबा 10 बीघा के नये खसरा नं. 71 व पुराने खसरा नं. 303 रकबा 10 बीघा के नये खसरा नं. 458 रकबा 0.87 है. खसरा नं. 459 रकबा 0.05 है., खसरा नं. 436 रकबा 0.25 है. खसरा न. 438 रकबा 0.43 है किता 4 योग रकबा 1.60 है. बने हैं। बाद वर्णित कृषि भूमि खसरा सं. 69 रकबा 10 बीघा व खसरा सं. 303 रकबा 10 बीघा किता 2 योग रकबा 20 बीघा क्रम नि. नं. 8 दिनांक 11.5.1978 को वादीगण के पति/पिता के आवंटन हुयी थी आवंटन के पश्चात हल्का पटवारी द्वारा कब्जा संभलाया था जिस पर स्व. दौलतराम आत्मज रामकुंवार ने काश्त की है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। आवंटन के पश्चात आवंटी दौलतराम का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं किया गया। वादीगण के पति/पिता ने अपने जीवनकाल में आवंटित कृषि भूमि पर काश्त का कार्य किया व आवंटन की राशि भी जमा की। दौलतराम का दिनांक 4.1.1997 को स्वर्गवास हो जाने के पश्चात वादीगण ने उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने हेतु कई प्रार्थना पत्र पेश किये परन्तु वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि चरण क्रम 1 की वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाये। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी

उपखण्ड अधिकारी

खसरा सं. 71 रकबा 7.72 है में से 1.60 है. पूर्वी दिशा की मेर से लगी, खसरा सं. 458 रकबा 0.87 है, खसरा नं. 459 रकबा 0.05 है खसरा सं 436 रकबा 0.25 है, खसरा सं. 438 रकबा 0.80 है. में से रकबा 0.43 है खसरा नं. 436 की मेर से लगी हुई कृषि भूमि वाके ग्राम पापड़ी तहसील हिण्डोली जिला बूंदी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे व वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे इस आशय की डिक्री फरमाई जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा नियत पेशी पर जवाब सरकार पेश किया गया। प्रस्तुत वाद व जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकीआत कायम की गई -

1. आया वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित आराजी व वादीगण के पति/पिता को आवंटन हुई थी तथा आवंटन के पश्चात से वादीगण तथा उनके पूर्व उनके पति/पिता अनवरत काबिज काश्त हैं।
   - वादीगण
2. आया वादीगण को अधिकार है कि वह तनकी सं. 1 में वर्णित आराजी के खातेदार घोषित होकर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करावे - वादीगण
3. आया आवंटन के पश्चात से वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से वाद खारीज योग्य है।
   - प्रतिवादी
4. अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी

वादीगण ने तनकीआत के समर्थन में आवंटन पत्रावली मिसल नं. 8/78 जो कि प्रदर्श 1, दखलनामा दिनांक 24-02-1978 प्रदर्श 2, आवंटन राशि जमा नोटिस दिनांक 9.10.1990 प्रदर्श 3, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2037-2040 प्रदर्श 4, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5, नकल सिवायचक खाता सं. 1 प्रदर्श 6, नकशा ट्रेस प्रदर्श 7 (ख.स. 71), खसरा गिरदावरी 2064 से 2067 प्रदर्श 8, नकशा ट्रेस प्रदर्श 9, मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित कोपी, नोटिस दिनांक 29.12.11, प्रदर्श 10, रजिस्टर्ड रसीद पोस्ट ऑफिस, A D रसीद प्रदर्श 12 आदि पेश किये। बतौर मौखिक साक्ष्य सीतादेवी PW1, सीताराम PW2, धनकंवर PW3, रामनारा-यण PW4 के बयान करवाये गये। नियत पेशी पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है -

तनकी नं. 1- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। विद्वान अभिभावक वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कृषि भूमि खसरा सं. 69 रकबा 10 बीघा व खसरा सं. 303 रकबा 10 बीघा किता 2 योग रकबा 20 बीघा कृषि भूमि मिसल नं. 8 दिनांक 11.05.1978 से वादीगण के पिता/पति को आवंटन हुयी थी तथा आवंटन के पश्चात् उनका पटवारी द्वारा कब्जा संभलाया था। अपने कथन की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेज ExP1 प्रदर्श 1- आवंटन पत्रावली मिसल नं. 8/78. ExP2 प्रदर्श 2 दखलनामा दिनांक 24.02.1978, प्रदर्श 3 ExP3 आवंटन राशि जमा हेतु नोटिस 9.10.90 प्रदर्श 4 ExP4 खसरा गिरदावरी ग्राम पापडी सम्वत् 2037-2040 व बयान PW1 से PW4 की ओर ध्यान आकर्षित किया। विद्वान अभिभाषक की बहस सुनने व मनन करने व पत्रावली के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी

उपखण्ड अधिकारी

साक्ष्य से यह साबित होता है कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा सं. 303 रकबा 10 बीघा व खसरा सं. 69 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम पापड़ी दिनांक 11.05.1978 को दौलतराम आत्मज रामकुंवार बाई को आवंटित किये जाने का आदेश हुआ। प्रदर्श 4- खसरा गिरदावरी सम्वत् 2037-2040 में खसरा सं. 303 किन के 10 बीघा पर दौलतराम का काश्त करना दर्ज है। प्रदर्श 2 पटवारी रिपोर्ट में भी खसरा सं. 303 के 10 बीघा रकबा पर कब्जा काश्त करना लिखा गया है। अनवरत काबिज काश्त होने के तथ्य वादीगण द्वारा पेश किसी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं होता है। अतः उक्त विवेचन के फलस्वरूप तनकी का निर्णय चरण सं. 2 वर्णित आराजी जिसके सेटलमेंट से पूर्व के खसरा सं. 69 व 303 का वादीगण के पति / पिता को आवंटित होना ही साबित होता है। अतः आवंटित होने के तथ्य तक वादीगण के पक्ष में निर्णय किया जाता है। तनकी का तथ्य आवंटन के पश्चात वादीगण तथा उनसे पूर्व उनके पति / पिता अनवरत काबिज काश्त होने का तथ्य का निर्णय उक्त विवेचन के फलस्वरूप खिलाफ वादीगण किया जाता है।

तनकी सं. 2 - इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। विद्वान अभिभावक ने वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुए दौराने बहस कथन किया कि वाद वर्णित आराजी का आवंटन दौलतराम आ. रामकुंवार को हुआ लेकिन उक्त आदेश का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं किया गया यह गलती राजस्व कर्मचारियों की है। आवंटन से आज तक वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है अतः वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने तथ्यो के समर्थन में [illegible] RRT 2013 (1) Page 391 से 397,

RRT 2015(2) पेज 961-966, RRT 2015(1) पेज 451-457, RRT 2015 (1) पेज 10-13, RRT 2002(2) पेज 783-786 पेश किये तथा उद्धरण लिया कि गलती राजस्व कर्मचारियों की है जिससे वादीगण अपने कृषि भूमि के अधिकार से वंचित हैं। अतः राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करावें व खातेदार कृषक घोषित करने का वादीगण को अधिकार है।

हमने विद्वान अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। पेश न्यायिक दृष्टांत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत इन्द्राज दुरुस्ती से संबंधित हैं। जबकि हस्तगत प्रकरण-वाद में धारा 88 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी अधिकार की घोषणा चाही गयी है। राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती बाबत कोई तथ्य नहीं है। प्रकरण में आवंटित आराजी का रिकार्ड में अंकन नहीं होने का तथ्य है ना कि किसी गलत अंकन की दुरुस्ती का। अतः प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वाद के सन्दर्भ में चस्पा नहीं होते हैं।

प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार वादीगण के पति/पिता- दौलतराम को राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय सम्बन्धी) नियम 1957 के अधीन आवंटन हुआ। जबकि वादीगण द्वारा धारा 88 के तहत वाद लाया गया है। घोषणा का दावा केवल अधिकारों की घोषणा करता है जो अधिकार अस्तित्व में है डिक्री केवल उन्हीं अधिकारों की घोषणा करती है। उक्त आवंटन नियम 1957 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के धारा 28 के तहत बनाये गये हैं। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि किसी भी अधिधारी को जिसे

क्रमशः....

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

नगर, कस्बा या छावनी या जवाई परियोजना क्षेत्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी भी अन्य क्षेत्र में भूमि खातेदारी पर दी गयी है या दी जाती है को इस धारा के अधीन खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होंगे। वादीगण को उक्त आवंटन नियम 1957 के उपबंधों के अधीन या अनुसार ही खातेदारी अधिकारी बाबत कार्यवाही की जानी चाहिए। अतः उक्त विवेचन के फलस्वरूप तनकी सं.2 का निर्णय वादीगण के खिलाफ किया जाता है।

तनकी सं.3– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। आया कि आवंटन के पश्चात कब्जा काश्त नहीं होने से वाद खारीज योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से वादीगण का वाद वर्णित आराजी पर कब्जा होना साबित नहीं हुआ है। पटवारी के पटवारी रिपोर्ट 24.02.1978 में प्रार्थी–दौलतराम का कोठा रहना लिखा गया है व ख.नं. 303 की 10 बीघा भूमि पर ही कब्जा कर काश्त किया जाना उल्लेखित है। वर्तमान तक वादीगण का उक्त जमीन पर कब्जा काश्त होने का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः उक्त विवेचन के फलस्वरूप इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है व वादीगण के खिलाफ किया जाता है।

उक्त समस्त तनकीआत का निर्णय हो चुका है। अतः वाद वादीगण खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः, वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः---

नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अंतिम ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई
(O 20, Rr 6,7)
(civil Procedure Code, Appendix D)

अर्ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी
व इजलास सुश्री गरिमा लाटा R.A.S.

1 सीतादेवी बेवा दौलतराम जाति नाई निवासी नयागांव तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी वगैरह
वादीगण

बनाम 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी
प्रतिवादी

दावा बाबत 88, 89 आर.टी.एक्ट
सन ....

मुकदमा नम्बर 34/दावा/2012 .... व हाजिरी
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे .... श्री दिनेश शर्मा मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

दावा वादीगण खारिज किया जाता है।

.... बाबत .... खर्चा इन
निज .... मुबलिग .... फीसदी सालाना आज की तारीख
मुकद्दमें के मय सूद बशरह .... का अदा करें।
से तारीख अदायगी तक .... 28-12-2017 माह ....
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....
सन .... को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. सुरेश पुत्र दोलतराम जाति नाई निवासी नयागाव तहसील लाखेरी
3. राजेन्द्र पुत्र दोलतराम " " "
4. महेन्द्र पुत्र दोलतराम " " "

प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)